(वाद सं०– 3209/4/26/2021)

31.08.2022

परिवादी, रामजी सिंह, सेवानिवृत अवर निरीक्षक (सशस्त्र), बिहार सैन्य पुलिस–5, पटना उपस्थित है।

प्रसंगाधीन मामला परिवादी, के सेवानिवृति के उपरान्त, समूह जीवन बीमा योजना व महँगाई भत्तें में अनिवार्य रूप से कटौती की गई राशि के भुगतान से सम्बन्धित है।

उक्त पर वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्रतिवेदन की मांग की गई। वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि प्रसंगाधीन मामला बिहार सैन्य पुलिस–5, पटना तथा बिहार सैन्य पुलिस–8, बेगुसराय से सम्बन्धित है। तत्पश्चात् राज्य आयोग द्वारा प्रसंगाधीन मामले में समादेष्टा, बिहार सैन्य पुलिस–5, पटना व बिहार सैन्य पुलिस–8, बेगुसराय से प्रतिवेदन की मांग की गई। समादेष्टा, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस–5, पटना के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि **परिवादी के समूह जीवन बीमा योजना में संचित राशि 44977 रूपये (चौवालीस हजार नौ सौ सत्तहतर रूपये) का भुगतान वर्ष–2000 में ही किया जा चुका है। जबकि सामान्य भविष्य निधि के अन्तर राशि 47846 रूपये (सैतालिस हजार आठ सौ छिहत्तर रूपये) राशि का भी भुगतान किया जा चुका है।** दुसरी ओर, समादेष्टा, बिहार सैन्य पुलिस–8, बेगुसराय द्वारा अपने प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया कि परिवादी के बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस–8, बेगुसराय में पदस्थापन के क्रम में समूह जीवन बीमा शीर्ष में कटौती की गई राशि की विवरणी बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस–5, पटना को भेज दी गयी है।

उपरोक्त पर परिवादी से प्रत्युत्तर की मांग की गई। अपने प्रत्युत्तर में उनके द्वारा समूह जीवन बीमा योजना में दो स्थानों पर उनके पदस्थापन अवधि में की गई कटौती का उल्लेख करते हुए विस्तृत विवरणी की की विवरणी की मांग की गई है।

प्रसंगाधीन मामला सेवानिवृति के उपरान्त सेवान्त लाभ दिये जाने से सम्बन्धित है। बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस–5, पटना द्वारा उनके शिकायत का समाधान किया जा चुका है तथा इस सम्बन्ध में बिहार विशेष

सशस्त्र पुलिस–5, पटना द्वारा आवश्यक कागजात भी अपने प्रतिवेदन में संलग्न किया गया है।

अब जबकि परिवादी के शिकायत का सम्बन्धित प्राधिकार द्वारा समुचित समाधान किया जा चुका है तो ऐसी परिस्थिति में प्रसंगाधीन मामले को राज्य आयोग के स्तर से मानवाधिकार अतिक्रमण की श्रेणी में न पाकर इसे संचिकास्त किया जाता है।

कार्यालय, आज पारित आदेश के साथ बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस–5, पटना के प्रतिवेदन (पृष्ठ 66–39/प0) की प्रति संलग्न कर तद्नुसार परिवादी को सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

निबंधक